राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– गोरखाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 64 सन 2018

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. हरपाल पुत्र कनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. राजोदेवी पत्नी हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. समेस्ता पुत्री हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 21/18 की कुल 14.2390हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवदी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसमे वादी एवं प्रतिवदी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्य 2, 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजरव रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनाम पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसके सम्बध में पूर्व में ही राजीनामा पेश किया जा चुका है । इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 21/18 के खसरा न0 146/6.8160हैक , 217/7.4230हैक कुल 14.2390हैक भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पाच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजरव रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गोरखाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–गोरखाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 हरपाल पुत्र कनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. राजोदेवी पत्नी हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. समेस्ता पुत्री हरपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगणवाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 64 सन 2018 निर्णय दिनांक– 24.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 21/18 के खसरा न0 146/6.8160हैक , 217/7.4230हैक कुल 14.2390हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गोरखाना